

हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग
संख्या: एम. पी. पी.-एफ. (1)-1/2005-III तारीख, शिमला-2, ७ मार्च, 2017

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 53 के साथ पठित धारा 177 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपायों का उपबन्ध करने के लिए विनियम अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज” कहा गया है) विरचित किए हैं;

“सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज” के विनियम 32 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों के निवन्धनों के अनुसार समुचित सरकार, ऐसी क्षमता अधिसूचित करने के लिए सशक्त है जिससे ऊपर की क्षमता वाली उत्पादन इकाईयों के लिए निरीक्षण राज्य में मुख्य विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना अपेक्षित होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, “सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज” के विनियम 32 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि 10 के.वी.ए. से अधिक की क्षमता वाली उत्पादन इकाईयों (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाईयों सहित) के इन्स्टालेशनज का निरीक्षण मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।


यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा

तरुण श्रीधर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: एम०पी०पी०-एफ(1)-1/2005-III दिनांक शिमला-2, ७ मार्च, 2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार
3. निदेशक, ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश, शान्ति भवन, फेज-III सेक्टर-6, न्यु शिमला-9.



4. सचिव, हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग, क्याँथल कॉमर्शियल कम्पलैक्स, खलीणी, शिमला-171002.
5. मुख्य विद्युत निरीक्षक, ब्लाक न०-२९, एस०डी०ए० कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009.
6. प्रबन्ध निदेशक, हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लि०, विद्युत भवन, शिमला-171004
7. प्रबन्ध निदेशक, हि०प्र० पावर संचार निगम लि०, हिमफैड भवन, नजदीक एम०एल०ए० कवार्टर, पांजरी टूटी कण्डी, शिमला-171005.
8. प्रबन्ध निदेशक, हि०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, हिमफैड भवन, बीसीएस, न्यू शिमला-९.
9. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२.
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग (राजभाषा खण्ड) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२.
11. नियन्त्रक, लेखन एवं सामग्री विभाग, हि०प्र० शिमला-171005 को हि० प्र० राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।
12. गार्ड नस्ति।

विशेष भविष्य
विशेष भविष्य (विद्युत)
हिमाचल प्रदेश सरकार